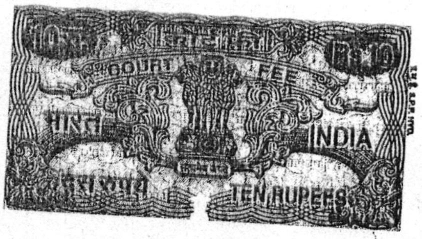

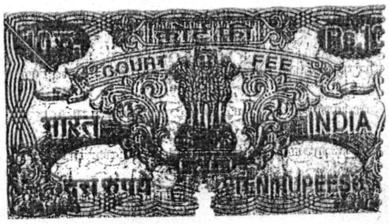

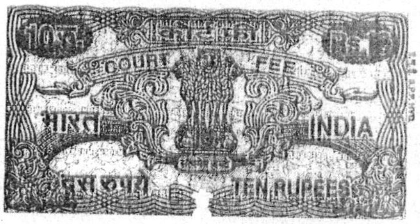

II/निगरानी/रीवा/भू-रा/2017/1741

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (71)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–रीवा

नंदलाल पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी– ग्राम बरौली ठकुरान, थाना जवा, तहसील– जवा जिला– रीवा (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 12-6-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री मुन्नालाल गुप्ता
2. कस्तूरीलाल पुत्र श्री मुन्नालाल गुप्ता
3. प्रमोद कुमार पुत्र श्री अमृतलाल
4. जवाहरलाल पुत्र श्री मोतीलाल गुप्ता
5. मोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल गुप्ता
6. सुमन गुप्ता पुत्र श्री मोतीलाल गुप्ता
7. शिवदयाल पुत्र श्री मोतीलाल गुप्ता
8. मु. बेनी पत्नी देवचन्द्र गुप्ता सभी निवासीगण– ग्राम बरौली ठकुरान, थाना जवा, तहसील– जवा जिला– रीवा (म.प्र.) ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश एस.डी.ओ. त्योथर जिला रीवा के प्रकरण क्र. 87/ए27 अपील/2016–17 पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 को पारित।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1741

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर जिला रीवा के आदेश दिनांक 31-5-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	